लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड फेज–01, सिलतरा इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, जिला–रायपुर द्वारा मार्डनाईजेशन के तहत् पॉवर प्लांट क्षमता– 81.5 मेगावाट से 98.7 मेगावाट एवं क्षमता विस्तार के तहत् इंडक्शन फर्नेस– 4x15 टन (2,25,000 टन/वर्ष) विथ एलआरएफ (30 टन) एवं सी.सी.एम. (2,40,000 टन/वर्ष) एवं रोलिंग मिल– 2,00,000 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 23.06. 2018 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

मेसर्स सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड फेज–01, सिलतरा इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, जिला–रायपुर द्वारा मार्डनाईजेशन के तहत् पॉवर प्लांट क्षमता– 81.5 मेगावाट से 98.7 मेगावाट एवं क्षमता विस्तार के तहत् इंडक्शन फर्नेस– 4x15 टन (2,25,000 टन/वर्ष) विथ एलआरएफ (30 टन) एवं सी.सी.एम. (2,40,000 टन/वर्ष) एवं रोलिंग मिल– 2,00,000 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लोक सुनवाई कराने बाबत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया था। नव भारत तथा टाईम्स ऑफ इण्डिया (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 23 जून 2018 दिन शनिवार को समय प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला रायपुर में नियत की गई थी। जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित की गई थी।

प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 23 जून 2018 को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–रायपुर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ0 एस.के.उपाध्याय, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर, उद्योग प्रतिनिधि श्री जी.के.लाखोटिया (हेड परियोजना), ग्राम पंचायत सिलतरा के सरपंच श्री एम.आर.यदु, गांवों के किसान एवं जनप्रतिनिधी आदि लगभग दो सौ जनसामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई दोपहर 12:15 बजे प्रारंभ की गई।
2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये है, उनकी सूची संलग्नक – 01 अनुसार है।
3. डॉ0 एस.के.उपाध्याय, क्षेत्रीय अधिकारी ने प्रस्तावित प्ररियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया से लोक सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया।
4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया डॉ0 रेणुका श्रीवास्तव ने प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की तथा परियोजना प्रस्तावक को परियोजना के संबंध में विवरण देने हेतु निर्देशित किया।

5. उद्योग प्रतिनिधि श्री जी.के.लाखोटिया (हेड परियोजना) के द्वारा प्रस्तावित परियोजना का आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार के संबंध में संक्षिप्त विवरण बताया गया।

6. श्री मोहन राहागंडाले (मेसर्स पोल्युशन एण्ड इकोलोजी कंट्रोल सर्विसेस, नागपुर) परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार ने लोक सुनवाई के संबंध में नवभारत तथा टाईम्स ऑफ इण्डिया (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्रों में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशन दिनांक 21.05.2018 की जानकारी दी। श्री मोहन राहागंडाले ने बताया कि मेसर्स सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड फेज–01, सिलतरा इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, जिला–रायपुर द्वारा मार्डनाईजेशन के तहत् पॉवर प्लांट क्षमता– 81.5 मेगावाट से 98.7 मेगावाट एवं क्षमता विस्तार के तहत् इंडक्शन फर्नेस– 4x15 टन (2,25,000 टन/वर्ष) विथ एलआरएफ (30 टन) एवं सी.सी.एम. (2,40,000 टन/वर्ष) एवं रोलिंग मिल– 2,00,000 टन/वर्ष हेतु उत्पादन का प्रस्ताव है, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 182.73 लाख रूपए होगी।

श्री मोहन राहागंडाले ने परियोजना से संबंधित आधुनिकरण के तहत् पॉवर प्लांट में स्थापित कम दक्षता वाले पुराने टरबाईन (टरबाईन क्र. 2 एवं टरबाईन क्र. 3) के स्थान पर BHEL निर्मित उच्च दक्षता वाले टरबाईन स्थापित करना प्रस्तावित है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत उत्पादन क्षमता 81.5 मेगावाट से 98.7 मेगावाट में होगी। इस आधुनिकीकरण में बॉयलर की संख्या एवं क्षमता में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी, जिससे स्टीम, कच्चा माल (कोयला) एवं पानी की खपत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। केप्टिव विद्युत संयंत्र के अन्य किसी उपकरणों/घटकों में कोई बदलाव नहीं होगा तथा टरबाईन की वर्तमान सिविल फाउन्डेशन सहित अन्य किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बिना विद्युत उत्पादन क्षमता में 17.2 मेगावॉट की प्राप्ति होगी। स्टील संयंत्र के क्षमता विस्तार के लिये 6.597 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जो वर्तमान परिसर के 167.94 एकड़ भूमि से ही पूर्ति की जायेगी। प्रस्तावित संयंत्र हेतु कुल 372 कि.लि./दिन जल की आवश्यकता होगी, जिसमें से इण्डक्शन फर्नेस हेतु 253 कि.ली./दिन एवं रोलिंग मिल हेतु 119 कि.ली./दिन की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित स्टील संयंत्र के विस्तार में प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्शन हुड, सायक्लोन एवं बैग फिल्टर्स इत्यादि प्रस्तावित है। रोलिंग मिल में हॉट चार्जिंग द्वारा गर्म बिलेट को रोल किया जायेगा, जिससे कि बिलेट री–हिटिंग न होने के कारण वायु प्रदूषण में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी एवं किसी प्रकार की ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। स्टील संयंत्र में विद्युत ऊर्जा पर आधारित होने तथा ईंधन के रूप में कोयला या फर्नेस आईल का उपयोग प्रस्तावित नहीं होने की जानकारी दी गई। प्रस्तावित परियोजना में लगभग 396 लोगों की आवश्यकता होगी।

परियोजना स्थल, जलवायु की स्थिति, स्थल का प्रकार, महत्वपूर्ण संसाधन आवश्यकता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल एवं विद्युत की आवश्यकता एवं स्त्रोत, मानव श्रम की आवश्यकता, अग्निशमन सुविधायें, आधारभूत पर्यावरणीय अध्ययन, वायु गुणवत्ता की स्थिति, ध्वनि स्तर, जल गुणवत्ता, मृदा गुणवत्ता, 10 किलोमीटर परिधि के संबंध में जानकारी, जैविक पर्यावरण, सामाजिक तथा आर्थिक पर्यावरण, 10 किलोमीटर अध्ययन क्षेत्र की परिधि में शिक्षा सुविधाओं के विषय में विवरण, अध्ययन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का तुल्नात्मक विश्लेषण, पर्यावरण प्रभाव का पूर्वानुमान

तथा उनको कम करने की उपाय योजना, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव, पर्यावरण निरीक्षण कार्यक्रम, जोखिम मूल्यांकन एवं आपदा प्रबंधन योजना, प्रस्तावित परियोजना से लाभ, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना एवं व्यवस्थापन एवं निष्कर्ष के संबंध में जानकारी दी गई।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रकिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	आवेदक नाम व पता	लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दे	उद्योग प्रतिनिधि का जवाब
1.	श्री धनेश यादव (जनपद उपाध्यक्ष	सत्र 2004–2005 की बात है, जनपद पंचायत धरसींवा के ग्रामीण महिलाओं द्वारा कारखाने के गेट के पास करीब 150 महिलांए एकजुट हुये थे, उसी समय गाड़ी से कंपनी के चेयरमेन श्री कमल सारडा जी पहुंच रहे थे तो उन्होने ग्रामीण महिलाओं की जमावट को देख कर रूके और गाड़ी से उत्तर कर उनसे पूछे कि यहां भीड़ क्यों इकट्ठा हुए हैं तो महिलाओं ने कहा के कारखाने के द्वारा प्रदूषण से हमारे लिये समस्या हो रही है। तत्पश्चात् कंपनी मालिक ने तुरंत अपने कर्मचारियों को गेट के पास बुलाया और आदेश दिया कि प्लांट तुरंत बंद किया जाये और प्लांट बंद कर दिया गया गया। ऐसा त्वरित निर्णय लेने वाले मालिक हम दुनिया में नहीं देखें। ऐसा मालिक होना चाहिये। हम निवेदन करते है कि ग्रामीण शिक्षित युवाओं को कंपनी में रोजगार दिया जाये और आस–पास के इलाकों में वृक्षारोपण किया जाये। प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूँ।	प्रस्तावित परियोजना में नए रोजगारों के अवसर उत्पन्न होंगे। अधिकांश रोजगार स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता व आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जायेगा। हरिहर छत्तीसगढ़ वृक्षारोंपण कार्यक्रम के तहत एवं छ.ग.शासन की अनुशंसा से आवश्यकतानुसार उद्योग के आसपास के ग्रामो में वृक्षारोंपण किया जा रहा है। एवं भविष्य में भी किया जायेगा।
2.	श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, पूर्व प्रत्याशी	सी.एस.आर. के अंतर्गत जो खर्चा कंपनी कर रही उनका सही उपयोग और कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। अतः कंपनी इन कार्य को अपने द्वारा स्वयं कराये एवं प्रदूषण रोकने के लिये सिंचाई व्यवस्था किया जाये। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये कौशल प्रशिक्षण जैसे सिलाई–कढ़ाई, अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जाये। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाये	सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना विकास, लोक कला एवं संस्कृति तथा स्थायी विकास के लिए विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्य सरपंच के सलाह एवं ग्राम वासियों के आवश्यकतानुसार किये जाते है। कंपनी की सी एस आर पॉलिसी के तहत् भविष्य में भी कल्याणकारी कार्य किये जाते रहेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण

		और चिकित्सा उपलब्ध कराये। स्थानीय बेरोजगार युवाओं को कंपनी में रोजगार देने की कृपा करें। मेरा निवेदन है कि कंपनी को सब स्थानीय लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिये। विशेष जन प्रतिनिधिओं को ही न दिया जाये। प्लांट विस्तार का समर्थन करती हूँ।	के लिये कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दे के लिये आपके सुझाव का कंपनी स्वागत करती है एवं इसके संचालन हेतु आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी।
3.	श्री सुमन लाल साहू, सिलतरा	औद्योगिक विस्तार का समर्थन।	–
4.	श्री बहादुर राम निर्मलकर, सिलतरा	औद्योगिक विस्तार का समर्थन।	–
5.	श्री दिनेश यादव, सिलतरा	प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूँ।	–
6.	श्री दिनेश वर्मा, सिलतरा	इनके मत से हर जगह धूल–डस्ट है, जिसके कारण किसानों का खेत में फसल बर्बाद हो रहा है।, किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों को कारखाने में रोजगार के लिये प्रवेश नहीं दिया जाता है। वृक्षारोपण और पर्यावरण प्रदूषण पर ध्यान दिया जाये।	कंपनी द्वारा वृक्षारोंपण के लिए सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र का 33: हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा। जिसके लिए आज तक 33117 पौधे परियोजना परिसर में लगाये जा चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिये कम्पनी प्रतीबद्व है। पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जा रहा हैं ।
7.	श्री कोमल बंजारे, सिलतरा	औद्योगिक विस्तार का समर्थन।	–
8.	श्री गंगा निषाद, सिलतरा	औद्योगिक विस्तार का समर्थन।	–
9.	श्री संतु वर्मा, मांढर	औद्योगिक विस्तार का समर्थन।	–
10	श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा, सिलतरा	औद्योगिक विस्तार का समर्थन।	–
11	श्री राम लाल वर्मा, मूर्रा	औद्योगिक विस्तार का समर्थन।	–
12	ठाकुर राम यादव, धरसींवा	औद्योगिक विस्तार का समर्थन।	–
13	श्री टिकेन्द्र	औद्योगिक विस्तार का समर्थन।	–

	कुमार, मांढर		
14	श्री प्रदीप पटेल, चरोदा	कंपनी के प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूँ। मैं बारहवीं पास हूँ, मुझे नौकरी दिया जाये।	प्रस्तावित परियोजना में नए रोजगारों अवसर उत्पन्न होंगे। अधिकांश रोजग स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता आवश्यकता के अनुसार प्रदान किर जायेगा।
15	श्री डोम लाल बंजारे, सिलतरा	कंपनी के प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूँ।	–
16	श्री पुनाराम निषाद, सिलतरा	कंपनी के प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूँ।	–
17	श्री सन्तू वर्मा, मांढर	कंपनी के प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूँ।	–
18	श्री खेमलाल यादव, टेकारी	कंपनी के प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूँ।	–
19	श्री नारद वर्मा, माढंर	कंपनी के प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूँ।	–
20	श्री लिलाराम वर्मा, बरतनारा	कंपनी के प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूँ।	–
21	श्री बसंत राम वर्मा, मांढर	कंपनी के प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूँ।	–
22	श्री देवलाल, मुरागांव	कंपनी के प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूँ।	–
23	श्री किमलेश, सिलतरा	कंपनी के प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूँ।	–
24	श्री ठाकुरराम वर्मा, मांढर	कंपनी के प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूँ।	–
25	श्री रामकुमार वर्मा, सिलतरा	रोजगार दिया जाये। समर्थन करता हूँ।	प्रस्तावित परियोजना में नए रोजगारों के अवसर उत्पन्न होंगे। अधिकांश रोजगार स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता व आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जायेगा।
26	श्री संतोष कुमार साहू, सिलतरा	कंपनी के प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूँ।	–
27	श्री छन्नूराम	1990 से कंपनी में ठेकेदार के अंतर्गत	प्रस्तावित परियोजना में नए रोजगारों के

	निर्मलकर, सिलतरा	विभिन्न प्लांट में काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी स्थाई रोजगार नहीं मिल रहा है। आज भी मैं सायकल से ही उरकुरा तक काम के लिये जाता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ। चाहे आप चार गुना विस्तार किजिये।	अवसर उत्पन्न होंगे। अधिकांश रोजगार स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता व आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जायेगा।
28	श्री एम.आर. यदु, (नत्थु) सरपंच, सिलतरा	कंपनी के प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूँ। लेकिन जो स्थानीय युवा ITI, Diploma Engineering किये है उन्हें कंपनी में रोजगार दिया जाये। जो लोग ठेकेदार के अंतर्गत 5–10 साल काम कर रहे है, उनको कंपनी स्थाई रूप से काम दे। पर्यावरण प्रदूषण परध्यान दे। वृक्षारोपण कराये। आस–पास गांव को गोद ले कर साफ–सफाई और बिजली पानी का व्यवस्था कराये। गांव के विकास पर ध्यान पर दे। प्राथमिक स्कूल से हाई स्कूल तक वाईट वाश किया जाये। वृक्षारोपण कराये और एक साल तक उसका रख–रखाव कंपनी द्वारा किया जाये। उसके बाद ग्राम पंचायत को सौंपा जाये।स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाये। महिलाओं के लिये कौशल प्रशिक्षण जैसे सिलाई–कढ़ाई, अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जाये। स्थानीय नागरीकों की मांग है कि प्राथमिक से हाई स्कूल तक इंग्लिश मिडियम स्कूल उपलब्ध कराये। साल में कम से कम एक बार निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाये, जिससे विभिन्न चर्मरोग, आंख आदि विशेषज्ञों द्वारा ग्रामीणों का जांच किया जाये। मैं निवेदन करता हूँ कि कंपनी ग्राम वासियों के मूल समस्याओं का निदान करने की कृपा करे। मैं सारडा एनर्जी के प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूँ।	प्रस्तावित परियोजना में नए रोजगारों के अवसर उत्पन्न होंगे। अधिकांश रोजगार स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता व आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जायेगा। कंपनी द्वारा वृक्षारोंपण के लिए सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र का 33% हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा। जिसके लिए आज तक 33117 पौधे परियोजना परिसर में लगाये जा चुके हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देने के लिये आपके सुझाव का कंपनी स्वागत करती है एवं इसके संचालन हेतु आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी। कंपनी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में समीपवर्ती गांव में सी.एस.आर. के तहत् अनेकों कार्य किये जा रहे है। जिसके लिये पिछले 4 वर्षों में 380.87 लाख रूपये खर्च किये गये है। 1. शासकीय माध्यमिक शाला, सिलतरा में नियमित रूप से प्रतिवर्ष 2 अस्थाई शिक्षकों को मानदेय राशि। 2. शासकीय माध्यमिक शाला, सिलतरा को खेल सामग्री का वितरण। 3. जगमोहन लाल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा हेतु कंप्यूटर प्रदत्त। 4. सिलतरा शिक्षण समिति को आर्थिक सहयोग (जगमोहन लाल शाला) 5. जगमोहन लाल शाला परिसर में शौचालय का निर्माण 6. शासकीय शाला, सिलतरा में शौचालय का निर्माण। 7. जगमोहन लाल शाला में 2 अतिरिक्त कमरों का निर्माण। 8. सिलतरा शाला में प्राथमिक शाला भवन का निर्माण। 9. शासकीय शाला सिलतरा में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कार्य।

			10.कॉलेज परिसर में अतिरिक्त कक्षाओं व निर्माण। 11.शासकीय माध्यमिक शाला मांढर में पीने के पानी का प्रबंध हेतु पंप व टंकी प्रदत्त एवं चबूतरा निर्माण। 12.शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मांढर परिसर में शौचालय निर्माण। 13.आय अर्जक गतिविधियों हेतु स्थानीय युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण। विस्तार योजना कियान्वयन के साथ इन कार्यों का दायरा बढ़ाया जायेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिये कम्पनी प्रतीबद्व है। पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जा रहा हैं । सरपंच की अनुशंसा से आवश्यकतानुसार सामुदायिक संपत्ति एवं आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जायेगा साथ ही साथ बुनियादी आवश्यकताओं जैसे पानी, बिजली एवं चिकित्सा हेतु विकास कार्य संपादित किये जायेंगे। हरिहर छत्तीसगढ़ वृक्षारोंपण कार्यक्रम के तहत एवं छ.ग.शासन की अनुशंसा से आवश्यकतानुसार उद्योग के आसपास के ग्रामो में वृक्षारोंपण किया जा रहा है। एवं भविष्य में भी किया जायेगा एवं आपके अन्य सुझावो का ख्याल रखा जायेगा।
29	श्री भानू वर्मा, पूर्व सरपंच, सिलतरा	पर्यावरण के नियमों का पालन करते हुये कंपनी के कार्य को किया जाये। मैं सारडा एनर्जी के प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूँ।	पर्यावरण संरक्षण के लिये कम्पनी प्रतीबद्व है। पर्यावरण संरक्षण के निमयों का पालन किया जा रहा हैं ।
30	श्रीमती लोकेश्वरी वर्मा, टेकारी	सी.एस.आर. के अंतर्गत काम के बारे में कंपनी प्रबंधकों को पूछने से वो बोलते है कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार काम किया जाता है।यहां के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाये। जो बी.ई. डिप्लोमा, आई.टी.आई. किये है उन्हे नौकरी चाहे दो या न दो पर उनको आपके कंपनी में कम से कम एक साल ट्रेनिंग देने की कृपा करें।	आपके सुझाव का स्वागत करते हुए हम यह सुचित करना चाहते है कि कंपनी द्वारा तकनिकी शिक्षा प्राप्त युवाओ को उनकी आवश्यकतानुसार व योग्यतानुसार वोकेशनल, GT एवं अन्य प्रकार की ट्रेनिंग के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

अंत में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया डॉ0 रेणुका श्रीवास्तव द्वारा जन सामान्य को सुझाव एवं आपत्ति होने पर मौखिक एवं लिखित सूचना देने हेतु पुनः

कहा गया। यह लोकसुनवाई दोपहर लगभग 12:15 बजे प्रारंभ होकर दोपहर लगभ 02:30 बजे समाप्त हुई। लोकसुनवाई के पूर्व, दौरान एवं लोकसुनवाई के पश्चात् लिखि अभ्यावेदन प्राप्त हुये। संपूर्ण लोकसुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

03/07/18

(डॉ0 रेणुका श्रीवास्तव)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला–रायपुर (छ.ग.)